सेवा में,

माननीय प्राचार्य महोदय, केन्द्रीय विद्यालय नं.1 बजाज नगर,जयपुर।

विषय :-विद्यालय भवन एवं उसके परिसर में बागवानी कार्य के लिए निविदा प्रस्तुत करने बाबत्।

महोदय.

उपर्युक्त विषय में प्रार्थना है कि फर्म हारा विद्यालय भवन एवं उसके परिसर में बागवानी कार्य के लिए विद्यालय हारा निर्धारित निम्न सभी शर्तों को मानते हुएबागवानी कार्मिकों की आपूर्ति करने के लिये आवेदन प्रस्तुत है :-

- 1. फर्म प्रपन्न 3 (राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान 1958)का धारक है जिसकी संख्या (प्रपन्न Annexure.1में संलग्न है) । है
- 2. जी.एस.टी. संख्या की प्रतिलिपि Annexure.2 में संलग्न है।
- 3. पेन संख्या की प्रतिलिपि Annexure-3में संलग्न है।
- 4. EPFसंख्या की प्रतिलिपि Annexure-4में संलग्न है।
- 5. ESI संख्या की प्रतिलिपि Annexure- 5 में संलग्न है।
- 6. निविदा के साथ प्रस्तुत(Earnest Money) के रूप में रूपये 5,000 / (रू पाँच हजार मात्र)का डिमांड ड्राफट / बैंकर चेक जो"VVN A/c K.V. No.1, Jaipur के पक्ष में जयपुर शाखा पर देय है सलंग्न है ।
- 7. फर्म के पक्ष में निविदा खुलने पर अनुबन्ध के समय सुरक्षा निधि के रूप में कुल रूपये 50,000/-(रूपये पचास हजार मात्र) जमा कराए जाएगें। फर्म द्वारा जमा कराई गई Earnest Money राशि रूपये 5,000/- (रूपये पाँच हजार मात्र) के अतिरिक्त फर्म द्वारा रूपये 45,000/- (रूपये पैतालीस हजार मात्र)डिमांड ड्राफट/बैंकर्स चैंक के द्वारा विद्यालय में जमा करवाए जायेंगें। अर्थात जिस फर्म के साथ बागवानी का अनुबंध होता है उसकी ओर से अनुबन्ध के समय जमा सुरक्षा निधि के रूप में विद्यालय में कुल रूपये 50,000/- (रूपये पचास हजार मात्र) 31.01.2022 तक जमा रहेंगें। फर्म द्वारा अनुबंध का किसी भी तरह से खंडन/उल्लंधन करने पर सुरक्षा निधि की राशि विद्यालय द्वारा जब्दा कर ली जाएगी।
- 8. फर्म द्वारा सुनिश्चित कर लिया गया है कि फर्म केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर में से जो भी अधिक होगी, उस दर से सम्पूर्ण समयाविध (01.12.2020से 30.11.2021) के लिए मेरी फर्म कार्मिकों को भुगतान करेगी। फर्म श्रम विभाग के सभी दायित्वों की अनुपालना सुनिश्चित करेगी। किसी भी प्रकार की कमी के लिये तथा सभी दायित्वों की अनुपालना करने के लिये फर्म तथा उसका मालिक व्यक्तिगत रूप से कानुनन उत्तरदायी रहेगे। अनुबन्ध अविध के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में वृद्धि होने पर विद्यालय द्वारा फर्म को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जायेगा।
- 9. बगवानी कार्य की दरें प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से विद्यालय द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक दस्तावेजों एवं अनुभव प्रमाण पत्र के साथ भरकर दी गयी है । फर्म ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि विद्यालय द्वारा फर्म की कोई भी नई शर्त स्वीकार नहीं की जायेगी ।
- 10. उपर्युक्त कार्य के लिए निविदा के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की कमी पाये जाने पर विद्यालय को अमानत राशि (Earnest Money) जब्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
- 11. विद्यालय द्वारा बिल की राशि में से केन्द्रीय विद्यालय संगठन के नियमानुसार टी.डी.एस. एवं अन्य टैक्स काटकर भुगतान किया जायेगा।
- 12. EPF एवं ESI की राशि कार्मिक के खाते में प्रतिमाह जमा करवाने की जिम्मेदारी फर्म की होगी तथा उसकी रसीद व EPF पास बुक विद्यालय को प्रतिमाह प्रस्तुत की जायेगी। प्रत्येक कार्मिक का EPF एवं ESI खाता संख्या पूर्ण रिकॉर्ड सहित विद्यालय में जमा करवा दिया जायेगा।फर्म ने यह समझ लिया है कि विद्यालय द्वारा (FORMAT OF BID)के कॉलम संख्या 7 के आधार पर निविदा की दर अंतिम की जायेगी।
- 13. फर्म द्वारा नियुक्त किये गये सभी कार्मिकों का पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन फर्म द्वारा करवाकर विद्यालय में प्रस्तृत किया जायेगा।
- . 14. फर्म द्वारा नियुक्त किये गए सभी कार्मिकों का चरित्र एवं व्यवहार विद्यालय की गरिमा के अनुरूप रहेगा । शराब पीकर विद्यालय में डयूटी पर आना/धूम्रपान करना/गुटखा खाना/किसी भी तरह का नशीले पदार्थ का उपयोग कर विद्यालय में बागवानों के आने पर अमानत राशि जब्त कर ठेका रदद कर दिया जाएगा ।
- 15. बगवानी कार्य के दौरान प्रत्येक कार्मिक का आई.डी. कार्ड साथ में रहेगा।
- 16. बागवानी कार्य पर नियुक्त किया जाने वाला कोई भी कार्मिक 18 वर्ष से कम तथा 60 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होगा।
- 17. प्रत्येक बागवानी कार्मिक को सप्ताह में एक दिन का आराम (Rest) दिया जायेगा। परन्तु विद्यालय द्वारा न्यूनतम मजदूरी का भुगतान वास्तविक कार्य दिवसो का ही किया जायेगा।कार्मिक को रेस्ट देने पर उसके स्थान पर दूसरा बागवानी कर्मी फर्म को विद्यालय में बागवानी कार्य के लिये भेजना होगा।
- 18. सेवाओं में किसी भी प्रकार की कमी पाये जाने पर विद्यालय द्वारा ठेका रदद करने तथा फर्म की जमानत राशि को जब्त करने का पूर्ण अधिकार विद्यालय के पास गुरक्षित रहेगा।
- 19. विद्यालय पर सेवा कर लागू होने की रिश्वित में सेवा कर जमा करवाने की जिम्मेदारी फर्म की होगी। फर्म द्वारा सेवा कर जमा करवाने की रसीद प्रस्तुत करने पर विद्यालय की सेवाओं पर भुगतान की गई सेवा कर राशि प्रतिमाह विद्यालय द्वारा को भुगतान कर दी जायेगी।

- 20. विद्यालय में कार्यरत कार्मिको का इ.पी.एफ एव इ.एस.आई जमा रसीद की प्रतिलिपि विद्यालय में जमा करवाने पर ई.पी.एफ एव ई.एस. आई का विद्यालय द्वारा भुगतान किया जायेगा।
- 21. भारत सरकार के श्रम मत्राांलय सहित अन्य सभी कानूनों की अनुपालना फर्म द्वारा की जाएगी।
- 22. विद्यालय में ड्यूटी के दौरान किसी भी बागवानी कार्मिक की किसी भी प्रकार की हानि / दुर्घटना होने पर विद्यालय जिम्मेवार नहीं होगा । उसके लिये फर्म अथवा स्वयं कार्मिक उत्तरदायी रहेगें।
- 23. कार्मिकों को उनकी मजदूरी का भुगतान फर्म द्वारा रेखांकित चैक से किया जाएगा । कार्मिकों का बैंक खाता विद्यालय परिसर में स्थित केनरा बैंक की शाखा में फर्म द्वारा खोला जाएगा । कार्मिकों के खाते में रेखांकित चैक से जमा शशि की प्रविष्टि पास बुक में दर्ज करवाकर पास बुक की फोटोंकापी अगले माह के बिल के साथ जमा करवानी होगी ।
- 24. फर्म की बागवानी कार्य के दौरान विद्यालय में किसी भी प्रकार की हानि या चौरी होने पर विद्यालय को हुई हानि की राशि का सम्पूर्ण भुगतान फर्म द्वारा विद्यालय को किया जाएगा इस हानि या चौरी की राशि सुरक्षा निधि एवं बकाया बिलों से समायोजित कर ली जायेगी । हानि या चौरी की राशिसुरक्षा निधि एवं बकाया बिलों की कुल राशि से अधिक होने पर फर्म एवं प्रोपराईटर द्वारा अधनी निजी सम्पत्ति से हानि की राशि का भुगतान विद्यालय को करना होगा। अतः फर्म एवं प्रोपराईटर द्वारा यह समझ लिया गया है कि बागवानी कार्य के अनुबन्ध के दौरान सम्पूर्ण हानि या चौरी की राशि विद्यालय को भुगतान के लिये फर्म पूर्ण रूप से जिम्मेवार रहेगी।
- 25. विद्यालय में प्रतिदिन कम से कम 03 (02 पुरूष एवं 01 महिला) कार्मिक बागवानी व्यवस्था के लिये आपूर्त करने होगे जो प्रतिदिन कम से कम 08 घण्टे कार्य करेगे। कार्य करने का समय विद्यालय की आवश्यकता अनुसार निर्धारित कर दिया जायेगा। 08घण्टे कार्य नहीं करने पर आनुपातिक रूप से मजदूरी का भुगतान नहीं किया जायेगा।
- 26. बागवानी कार्य में उपयोग आने वाले सभी औजार ठेकेदार के होगे। जिसमें फावडे, कुदाल, गेती, दातली, दुब काटने की मशीन, इत्यादी अन्य सभी उपकरण ठेकेदार के होगे।
- 27. खाद, बीज, पेड, पौधे, गमले, दुब इत्यादी माल की आपूर्ति विद्यालय द्वारा की जायेगी। पानी देने के पाईप की व्यवस्था विद्यालय द्वारा की जायेगी। पाईप लाईन का उपयोग करते समय सब मर्सिबल पम्प में कोई हानी होती है तो उसकी क्षति पूर्ति टेकेदार की होगी।
- 28. बागवानी कार्य में विद्यालय परिसर में पेड पोधो की छटाई करना, खेल मैदान को दूब से हरा भरा रखना, पेड पोधे लगाना, पेड पौधो से गिरे हुए पत्तो को सफाई कर नियत स्थान पर जलाना, पेड पौधो एवं दुब को सँवारना, उनमें पानी एवं खाद देना, विद्यालय परिसर में अनाश्वयक उगी हुई घास को हटाना, विद्यालय भदन पर उगे हुए अनाश्यक पौधो को हटाना, इत्यादि कार्य करने का दायित्व अनुबन्धक का होगा।
- 29. बागवान कुशल(बागवानी कार्य जैसे पोधे लगाना, गुढाई करना, पेड पोधो की छटाई करना, खाद एवं बीज के उपयोग का जान रखना, पौधों में पानी देना इत्यादी कार्य में दक्ष हो) होना चाहिए।
- 30. किसी भी दिन बागवान नहीं होने पर उस दिन का भुगतान फर्म को नहीं किया जायेगा। उस दिन की न्यूनतम मजदूरी प्रोपराईटर हारा व्यक्तिगत रूप से कार्मिक को भुगतान किया जायेगा।
- 31. सम्पूर्ण विद्यालय परिसर की बागवानी कार्य के प्रबन्ध का दायित्व फर्म एवं प्रोपराईटर का होगा। बागवानी व्यवस्था उत्तम नहीं होने पर विद्यालय द्वारा सुरक्षा निधि की राशि जप्त कर ठेका रदद करने का कानूनन हक विद्यालय के पास सुरक्षित है।
- 32. फर्म द्वारा कार्मिकों को भुगतान प्रधान नियोक्ता या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष किया जाएगा ।। फर्म द्वारा कार्मिकों को किये गये भुगतान का प्रमाण-पत्र फर्म द्वारा विद्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा।
- 33. निविदा की वैधता संविदा के शुरू होने की तिथि से 01 वर्ष तक रहेगी। फर्म द्वारा दी जा रही सेवाओं से सन्तुष्ट होने की स्थिति में समयाविध दोनो पक्षों की सहमति से एक वर्ष के लिये और बढाई जा सकती है
- 34. टेलैक्स/प्रतिकृति निविदा स्वीकृतं नहीं होगी तथा प्रत्येक निविदा दाता की केवल एक ही निविदा स्वीकार की जायेगी।
- 35. मुहरबंद निविदाएं दिनांक 02.11.2020 से 20.11.2020तक (दिनांक20.11.2020 को दोपहर 01:00 बजेतक) विद्यालय कार्यालय में रिजस्टर्ड डाक द्वारा स्वींकार की जायेगी। प्राप्त निविदाएं दिनांक 20.11.2020 को दोपहर 02:00 बजे विद्यालयमें उपस्थित निविदा दाताओं एवं समिति के समक्ष प्राचार्य कक्ष में खोली जायेगी।
- 36-निविदाएँ केवल रजिस्टर्ड डाक द्वारा ही खीकृत की जाएँगी/व्यक्तिश निविदाएँ खीकृत नहीं होगी।
- 37. निविदा कर्ता प्रत्येक कार्य (सेवाओं) के लिए अलग –अलग आवेदन करेगा।
- 38. निविदाकर्ता को निविदा की शर्ते एवं अन्य दस्तावेज अलग से बंद लिफाफे में प्रस्तुत करने होंगे तथा फार्मेंट ऑफ बिड के साथ अमानत राशि व निविदा शुल्क रूपये 200 की जमा पर्ची संलग्न कर अलग बंद लिफाफें में प्रस्तुत करनी होगी तथा दोनों लिफाफे एक बड़े लिफाफे में सील कर लिफाफे के ऊपर जिस कार्य हेतु निविदा प्रस्तुत की है अंकित करना होगा।
- 39. निविदा शुल्क रूपये 200 प्रतिकार्य के लिए विद्यालय में विद्यालय विकास निधि के.वि.क्रमांक —1 जयपुर के नाम खाता संख्या 369202010070408 आई एफ एस सी कोड UBIN0536920 यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया जयपुर में जमा कराने के पश्चात जमा रसीद निविदा प्रपन्न के फार्मेट ऑफ बिड के साथ संलग्न करनी होगी । जो निविदा कर्ता निविदा शुल्क जमा नहीं करायेगा उसकी निविदा स्वीकार नहीं होगी और निविदा निरस्त करने का अधिकार विद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।
- 40. उपरोक्त सहित अन्य सभी शर्ते केन्द्रीय विद्यालय संगठन के नियमानुसार मान्य होगी ।
- 41. उपर्युक्त सभी शर्ते प्रोपराईटर एवं फर्म द्वारा व्यक्तिगत रूप से समझ ली गई है एवं मान्य है । फर्म द्वारा निर्घारित प्र-पत्र (FORMAT OF BID) (जो निविदा प्रपत्र के बिन्दु संख्या 42) में प्रस्तुत की गई दरे सभी शर्ते मान्य होने के बाद ही प्रस्तुत की गई है ।

S. No.	Category of Manpower	Remunera tion per day per person (in Rs.)	EPF Rate (in Rs.) per day per person.As per prescribed by EPF Department as on date	ESI Rate (in Rs.) per day per person As per prescribed by ESI Department	Service Charges/Charges of Uniforms/Bonus etc. including overhead profit (in Rs.) per day per person	Total (Col. No. 3&6) (in Rs.)
1	2	3	4	as on date	6	7
1	बगवानी कार्य हेतु कुशल कार्मिक					
2	बगवानी कार्य हेतु अकुशल कार्मिक					

- 4		
231	_	78
- 11	100	100

- 2. सेवा कर की राशि FORMAT OF BID में सम्मिलित नहीं है। लागू होने की स्थिति में विद्यालय अलग से भुगतान करेगा।
- 3. बिंड फार्मेंट के कॉलम संख्या 06 में सेवा शुल्क रूपये 1 .00 से कम भरने पर निविदा को रदद कर दिया जायेगा।
- 4- अनुबन्ध की अविध के दौरान न्यूनतम मजदुरी दर बढ़ने पर फर्म द्वारा कार्मिको को बढी हुई दर पर भुगतान किया जायेगा। विद्यालय द्वारा भी फर्म को बढी हुई दर पर ही भुगतान किया जायेगा।
- 5- कॉलम संख्या-7 में 02 या 02 से अधिक फर्मों की दरें समान रहने पर किसी भी एक फर्म को अनुबन्ध देने का अधिकार विद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा। जिसकी मुझ प्रोपराईटर को कोई आपत्ति नहीं है, ना ही मेरा कानूनी अधिकार रहेगा।
- 6- विद्यालय द्वारा FORMAT OF BID के कॉलम संख्या 7 के आधार पर निविदा की दरे अंतिम की जायेगी

संलग्न दस्तावेजों का विवरण :--

1.	***************************************
2.	***************************************
3.	£1.77.431.4.44.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.
4.	***************************************
5.	***************************************
6.	***************************************
भव	दीय ,
प्रोप्र	ाईटर के हस्ताक्षर
	ाईटर का नाम
	का नाम
फर्म	का पता
	r -i
	No
	l No.
	की मोहर